कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाऐं, मध्यप्रदेश

rcs.housing@mp.gov.in

क्रमांक / गृह निर्माण / 2021 / 1092 भोपाल, दिनांक 30/09/2021

प्रति,

आयुक्त,
नगर निगम,
समस्त मध्यप्रदेश

2 संयुक्त संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश विभाग,
समस्त मध्यप्रदेश

विषय– गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं के द्वारा विक्रीत भूमि पर विकास अनुमति के संबंध में।

----0000----

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की अध्याय 8–क की धारा 72 (बी / ख) के तहत रजिस्ट्रार की अनुमति के बिना सोसायटी द्वारा धारित भूमि या उसका कोई भाग नही बेचा जाएगा या पट्टे पर नही दिया जायेगा और ऐसी भूमि के अंतरण की कोई कार्यवाही नही की जायेगी।

इस कार्यालय के संज्ञान मे ऐसे प्रकरण प्रकाश मे आये है जिनमे गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं के द्वारा अवैधानिक रूप से संस्था की भूमि का विकय और अंतरण बिना पंजीयक की अनुमति के किया गया है तथा क्रेता नामांतरण, अभिन्यास स्वीकृति तथा विकास की अनुमति हेतु सीधे स्वय अथवा संबंधित निकाय के माध्यम से संबंधित जिले के संयुक्त / उप / सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाओं से अनापत्ती प्राप्त कर संस्था की भूमि का विकय करने का प्रयास किया गया है। यह स्पष्ट किया जाता है कि सहकारी अधिनियम की धारा 72 बी के अधिकारों का प्रत्योजन किसी भी अधीनस्थ अधिकारी को नही है अर्थात सहकारी अधिनियम की धारा 72(बी) की समस्त शक्तिया एक मात्र पंजीयक में निहित है। गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं को भूमि विक्रय तथा सहकारी संस्थाओं से क्रय की गई भूमि का नामांतरण / विकास अनुमति नगर एवं ग्राम निवेश से अभिन्यास की स्वीकृत के लिये वर्तमान मे जो अभिमत सहकारिता विभाग के संभाग / जिले में पदस्थ संयुक्त / उप पंजीयक से लिये जाते है वे वैधानिक नही है, यदि वर्तमान में कोई प्रकरण लंबित हो या भविष्य मे प्राप्त हो तो ऐसे प्रकरण अधोहस्तकर्ता को भेजे जावे; उक्त कार्यवाही हेतु एक मात्र पंजीयक ही वैधानिक रूप से अधिकृत है। इस संबंध में सयुक्त / उप / सहायक पंजीयक को किसी भी प्रकार के अधिकार

JD-विधि
APCL
08/10

निरन्तर–02

प्राप्त नही है। यदि किसी प्रकरण में पूर्व से संयुक्त/उप/सहायक आयुक्त, सहकारिता द्वारा अनापत्ति प्रदान की गई है तो उसे अधिकारिता विहीन होने से शून्य माना जाये।

आपसे अपेक्षा है कि इन तथ्यों का पालन कराने का कष्ट करें।

(नरेश पाल कुमार)
आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक,
सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश

क्रमांक/गृह निर्माण/2021//092 भोपाल, दिनांक 30/03/2021
प्रतिलिपि– प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन विभाग।
2. आयुक्त, समस्त संभाग मध्यप्रदेश।
3. कलेक्टर जिला समस्त मध्यप्रदेश ।
4. संयुक्त आयुक्त, सहकारिता संभाग मध्यप्रदेश ।
5. उप/सहायक आयुक्त, सहकारिता जिला समस्त मध्यप्रदेश।
6. संचालक नगर तथा ग्राम निवेश विभाग भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

23/05/2021

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक,
सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश